



2026:AHC:21775

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3109, वर्ष 2025

राधे श्याम पांडे
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 18 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	अजय कुमार मिश्रा
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता :	सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, तथा भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
“(I). परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को यह निर्देश दिया जाए कि वे राजस्व ग्राम धुरिया इमलिया, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर के आराजी संख्या 199 क्षेत्र लगभग 0.291 हेक्टेयर पर निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 19 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ और वहाँ किए गए निर्माणों को ध्वस्त करें; यह भूमि राजस्व अभिलेखों में 'रास्ता' के रूप में दर्ज है।”
3. इस न्यायालय के दिनांक 14.10.2026 के आदेश के अनुपालन में, तहसीलदार, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा भेजी गई दिनांक 3.11.2025 की निर्देश अभिलेख पर ली गई।
4. राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री ओम आनंद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशों की प्रति प्रदान करेंगे।
5. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने 3.11.2025 की तारीख वाले निर्देश के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि राजस्व अभिलेख में भूखंड संख्या 199 को 'रास्ता' के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड के कुछ हिस्से पर रास्ता वास्तव में मौजूद है, और उस हिस्से के संबंध में कुछ अतिक्रमण पाए गए हैं;

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तदनुसार, उन व्यक्तियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जो भूखंड संख्या 199 पर कब्जे में पाए गए हैं। निर्देश में उल्लिखित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

1. केस संख्या T202505440324817
2. केस संख्या T202505440324818
3. केस संख्या T202505440324819
4. केस संख्या T202505440324820
5. केस संख्या T202505440324821
6. केस संख्या T202505440324822
7. केस संख्या T202505440324823
8. केस संख्या T202505440324824
9. केस संख्या T202505440324825
10. केस संख्या T202505440324827
11. केस संख्या T202505440324828
12. केस संख्या T202505440324829
13. केस संख्या T202505440324830
14. केस संख्या T202505440324831
15. केस संख्या T202505440324833
16. केस संख्या T202505440324836
17. केस संख्या T202505440324840
18. केस संख्या T202505440324844
19. केस संख्या T202505440324866
20. केस संख्या T202505440324873
21. केस नंबर T202505440324875
22. केस नंबर T202505440324877

6. भूखंड संख्या 199 के संबंध में यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित मामलों को देखते हुए, इस जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। इसमें प्रतिवादी संख्या 4—तहसीलदार, तमकुही राज, कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त लंबित मामलों का शीघ्रता से निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीएस

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"